

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 29/2023

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

GCMS NO- 2023/75

उनवान-

छत्रपालसिंह बनाम राजस्थान सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 09-03-2023

प्रार्थी के "नक्शा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का पचेरी कलां के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पचेरी कलां की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 2980/557 एवं 557 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनाना	ग्राम पचेरी कलां की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 2980/557 व 557	तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 547 दिनांक 14-02-2023 के साथ सलंगन मौका रिपोर्ट प्रदर्श- " अ" में वर्णित भूमि का वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि नक्शा प्रदर्श- " ब" के स्थान पर प्रदर्श- " स" के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट- रहन यदि कोई हो तो उक्त आदेश की पालना रहनमुक्त होने के पश्चात की जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 165

दिनांक :- 10/3/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. छत्रपालसिंह पुत्र झुंथसिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

